

ANNEXURE - 1

विद्युत सुरक्षा निदेशालय
कार्यपूरक प्रमाण—पत्र
[राज्य सरकार से अनुज्ञाप्ति (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा]

उपभोक्ता / स्वामी का नाम :
पिता / पति का नाम :
पता :
परिसर की अवस्थिति :
वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली :
(१) वोल्टता :
(२) कलाओं (फेजों) की संख्या :
(३) ए०सी० / डी०सी० :
वायरिंग का प्रयोजन :
वायरिंग का प्रकार (बैटन, कन्ड्यूट इत्यादि):

संस्थापना की विशिष्टियाँ :-

	२२०/२३० वोल्ट्स						४००/४४० वोल्ट	उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन		
	फेज १		फेज २		फेज ३					
	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स		संख्या	कुल क्षमता	
I-										

- (१) बत्तियों के प्वाइंट
(२) पंखों के प्वाइंट
(३) प्लग प्वाइंट
(४) मोटरें/जनरेटर्स
(पूर्ण व्यौरा दिया जाये)

योग _____

II- अन्य उपस्कर (पूरा व्यौरा दिया जाय)

- (१)
(२)
कुल संयोजित भार किलोवाट में –
अधिकतम करेंट मांग, एम्पियर में –
(कुल संयोजित भार के आधार पर)

विद्युत का रिसाव (विद्युतरोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मैगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय)।

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम –

फेज-१ व अर्थ

फेज-२ व अर्थ

फेज-३ व अर्थ

(I) फेज एवं अर्थ के बीच –

(II) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच –

फेज-१ व २

फेज-२ व ३

फेज-३ व १

(III) तारों के मध्य –

नियम-२६ :-

- (१) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार है।
- (२) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है।
- (३) बतायें कि समस्त स्विच विद्युमन्य (जीवन्त) चालकों पर लगाये गये हैं।

नियम-३२ :-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक को विद्युतमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सके।

(सत्यापन प्रमाण-पत्र)

मैं/हम लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस संख्या

निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं –

- (अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- (स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, १६५६ एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है –

वायरमैन का नाम..... परमिट सं०..... वैधता की तिथि

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम प्रमाण-पत्र सं०..... वैधता की तिथि

हस्ताक्षर

अप्रेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक : विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम
लाइसेंस संख्या
लाइसेंस श्रेणी
वैधता का दिनांक
ठेकेदार के हस्ताक्षर

-: घोषणा :-
(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, १९५६ के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य पर्याप्ति की अधिकतम क्षमता एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होनेपर ही की जायेगी।

दिनांक : उपभोक्ता का नाम वं हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट
(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम –

	<u>फेज-१ व अर्थ</u>	<u>फेज-२ व अर्थ</u>	<u>फेज-३ व अर्थ</u>
(1) फेज एवं अर्थ के बीच –			
(2) तार के बीच –	<u>फेज-१ व २</u>	<u>फेज-२ व ३</u>	<u>फेज-३ व १</u>

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियों (यदि कोई हो) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही:-

- १—
- २—
- ३—
- ४—

दिनांक : प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर :
पदनाम :

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक

निरीक्षण का परिणाम

(विवरण संलग्न किया जाये)

निरीक्षण तिथि

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

और पदनाम